

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेंद्र सोनी

आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.उकाजी पुत्र पेलाजी पुरोहित		1.रघुवीर पुत्र परब्रारामजी जानि मेघवाल
2.प्रताप पुत्र कपूराजी पुरोहित		निवासी पावटी ग्राम पंचायत डोरडा
3.डूंगाराम पुत्र सूस्ताराम जाति रेबारी		पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर
4.चुन्नीलाल पुत्र दीपाजी जाति सुथार		2.ग्राम पंचायत डोरडा ज रये,सरपंच ग्राम
5.जबराराम पुत्र चमनाजी जाति		पंचायत डोरडा पंचायत समिति जसवंतपुरा
पुरोहित निवासीगण पावटी ग्राम		जिला जालोर
पंचायत डोरडा पंचायत समिति		
जसवंतपुरा जिला जालोर		

प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या

06/2018

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 3 व पट्टा दिनांक 15.09.1999 निरस्त (खारिज)करने बाबत

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री नैनसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थीगण
- 2-श्री निखिल दवे अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
- 3.रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:-08.01 2020

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत डोरडा के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 ग्राम पंचायत डोरडा के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच के दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। वांछित रेकार्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दस्जावेज प्रस्तुत किये गये। संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 रघुवीर ने ग्राम पावटी में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.06.1999 को प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार अपने हक में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बताया गया तथा पट्टा दिनांक 15.09.1999 को अपने हक में जारी होना बताया है तथा उस पट्टे को लेकर उभय प्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध गलत ढंग से राज्य सरकार की भूमि खसरा नंबर 385 पर कब्जा करने की कोशिश की गई जो बिल्कुल ही गलत है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। जो पट्टा जारी किया जाना बताया है जो बिल्कुल ही फर्जी व कुटराचित दस्तावेज है, जो नियमानुसार जारी नहीं किये जाने से निम्न आधारों पर काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत डोरडा में राजस्थान पंचायत राज नियम 1994 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उभा दिन ग्राम पंचायत डोरडा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना कोई मौका जांच बिटे बिना कोई पंचो की कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना पटवारी हल्का स नूनि की किस्म के संबंध में बिना कोई जांच रिपोर्ट या राय लिये 5/-रूपये वगंगज के हिसाब से

पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 स्वीकृत किया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है। अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसे नियमानुसार दर्ज कर पत्रावली कायम तीन वार्ड पंचो की कमेटी नियुक्त कर उनसे मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक था तथा उसके बाद आवंटन क्रिये जाने वाले भूखण्ड पर ग्राम पंचायत पर आपत्ति इस्तिहार लगवाये जाकर उजर ऐतसाज प्राप्त करने थे। जिस आज्ञापक नियमों की पालना नहीं कर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत कर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया गया है, जो पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी व नियम विरुद्ध होने से काबिल खारिज है। उक्त प्रस्ताव में किस नाप तोल का पट्टा देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जिससे प्रस्ताव काबिल खारिज है व पट्टा काबिल खारिज है। प्रार्थी द्वारा पट्टे में पडौस बताये जाकर सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में जो दावा पेश किया है उस दावे में न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट भी मंगवाई गई है जिस मौका रिपोर्ट में मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा होना नहीं प्रया गया है। पट्टा किस खसरा नंबर में जारी किया गया उसका भी कोई उल्लेख पंचायत के प्रस्ताव व पट्टे में नहीं है। जिससे पट्टा काबिल खारिज है। उक्त अप्रार्थी के पट्टे में निःशुल्क शब्द को काटकर अतिरिक्त ईवारत रियायती दर पर जोड़ा गया है तथा विक्रय विलेख के पद संख्या 2 व 3 में कांट छांट की गई है जिस पर भी विक्रय विलेख जारी करने के प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त पट्टे की पुश्त पर पडौस बाबत लिखी गई दिशाओं में तथा पडौस के नाम में कांट छांट की गई है। जिससे पट्टा काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जो विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया गया है उस पर संबंध आवंटनी अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही नहीं है। कानूनन सम्पत्ति अन्तर्गण अधिनियमों के प्रावधानों के तहत विक्रय विलेख निष्पादन के लिये दोनों पक्षकार विवेकता व श्रेता के हस्ताक्षर आवश्यक है। जब तक विक्रेता द्वारा निष्पादित दस्तावेज को क्रेता स्वीकार नहीं करता तब तक ऐसा दस्तावेज शून्य है व कानूनन उसका कोई महत्व व मूल्य नहीं है जिससे उक्त विक्रय अपूर्ण होने से पट्टा काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी विक्रय विलेख (पट्टे) पर ग्राम पंचायत के ग्राम मेवक के हस्ताक्षर नहीं हैं जो कानूनन आवश्यक है। विक्रय विलेख पर न तो पट्टा संख्या अंकित है न ही कोई मिसल संख्या ही अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा आवंटन हेतु न तो कोई मिसल कायम की गई और न ही नियमों की कोई पालना ही की गई तथा न ही पट्टवारी हल्का से या वार्ड पंचो से कोई रिपोर्ट ही मांगी गई इसका उल्लेख न तो पट्टे में है तथा न ही नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पालना नहीं की है, यद्यत्कि भूखण्ड आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी का कहीं कोई अन्य मकान या प्लॉट पंचायत क्षेत्र में नहीं होने बाबत शपथ पत्र ही लिया है। आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करने से दिनांक 10.06.1999 का प्रस्ताव संख्या 3 बिल्कुल ही गैर कानूनी व अवैध होने से काबिल खारिज है तथा उसके आधार पर दिनांक 15.09.1999 को जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा) काबिल खारिज है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी आबादी भूमि के विक्रय विलेख पट्टा के पद संख्या 8 में यह शर्त है कि इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया है जिस पर 18 वर्ष का लम्बा समय बितने के बावजूद न तो अप्रार्थी संख्या 1 का वहां पर कोई कब्जा रहा है और न कोई निर्माण किया है। पट्टे में बताई गई भूमि मौके पर बिल्कुल ही खाली पड़ी है जिसमें गायो के पानी पीने की पोकली चारा रखने का टैंकशेड बना हुआ है तथा भूमि गायो की आखरी के रूप में कदीम से काम आ रही है। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में दावा पेश किया जिसने जो पडौस पट्टे में बताये है उन पडौसियों की भूमि तो खसरा नंबर 335 रकबा 3.12 एकड़

की भूमि है जो भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज भूमि पंगड ग्रीया तथा रास्ते की भूमि है जो गैर मुमकिन भूमि है जिस भूमि पर गाया की आखना है तथा राज्य सरकार की भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत का कोई कानूनी हक नहीं है जहां पट्टा जारी करना बताया है वह भूमि खसरा नंबर 385 की भूमि है जो कभी भी ग्राम पंचायत डोरडा के खाते में न तो दर्ज रही न ही आयादी भूमि है। ग्राम पंचायत डोरडा अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज राष्ठीय भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटित विक्रय करने का कतई अधिकार प्राप्त नहीं है, बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया पट्टा व प्रस्ताव काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन के बाद कब कब्जा भौतिक रूप से सुपुर्द किया गया ग्राम पंचायत में कोई फर्द कब्जा सुपुर्द नहीं है, न ही पट्टे में कोई कब्जा सुपुर्द करने का उल्लेख ही है। मौके पर भूमि बिल्कुल खाली है। कानूनी आवंटन के दो साल में निर्गम किया जाना आवश्यक था जो नहीं किये जाने से पट्टा काबिल निरस्त है। आवंटन की तारीख 10.06.1999 को अप्रार्थी संख्या 1 अव्यस्क था अव्यस्क के नाम कानूनी कोई आवंटन नहीं किया जा सकता जिससे पट्टा काबिल खारिज है। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में पेश किये दीवानी विधि मुकदमा नंबर 37/2018 में न्यायालय द्वारा मौके कमिश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण दिनांक 03.08.2018 को किया गया है। जिस मौका रिपोर्ट की नकल साथ में पेश है। जिसमें विक्रय विलेख में बताई जा रही भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है वहां मौके पर श्री महादेव गौवर्धन गंधाम पावटी का लोहे का चोर्ड लगा हुआ है तथा एक छप्पर बना हुआ है तथा लोहे की एंगल लगाकर लोहे की चददरे लगाकर छप्पर बनाया हुआ है तथा गाया के पानी पीने के लिये पानी का हाद बना हुआ है होद पर जय गाय माता की आखरी लिखा हुआ है तथा ऊपर गाये उधर उधर घुम रही है। मौके पर कहीं पर प्लॉट के निशान नहीं है। मौके पर चारा पड़ा है। आवंटन की जाने वाली भूमि तथा पट्टे में बताई जाने वाली भूमि पर गाया की गौशाला व आखरी वर्तमान में स्थित है अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं होने से पट्टा काबिल खारिज है तथा दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत द्वारा लिया हुआ प्रस्ताव संख्या 3 काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने एक ही दिन दिनांक 10.06.1999 को आवंटन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थना पत्र लिया तथा उसी दिन बिना कोई मौका देखे व जांच किये प्रस्ताव संख्या 3 स्वीकृत कर गियायती ग्राम पंचायत आवंटन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें आवंटन किये जाने वाले प्लॉट का कोई नाप व तौल ही नहीं है इस कारण प्रस्ताव स्वीकृत करने की पूरी कार्यवाही व पट्टा जारी करने की पूरी कार्यवाही बिना आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये हुई है। जिससे काबिल खारिज है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी एक दिन भी कब्जा नहीं रहा इस कारण हमें उक्त पट्टे के चार में कोई जानकारी नहीं हो सकती। अप्रार्थी ने अपनी अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर सरकारी जर्माना पर गलत कब्जा करने की नियत से सिविल न्यायालय में दावा किया व दिनांक 3.08.2018 को सिविल न्यायालय से मौका कमिश्नर मौका देखने आये तब कार्यवाही का पता लगा उसके बाद भीनमाल न्यायालय में जाकर वकील का पता लगाया तो कहीं पट्टे करने का पता लगा तब ग्राम पंचायत से गौशाला के कार्यकर्ता मुझ प्रार्थी जयनाराम ने दिनांक 05.10.2018 को पट्टे की नकल व प्रस्ताव की नकल मांगी जो नकले दिनांक 15.10.2018 को पट्टे की नकल व प्रस्ताव की नकल मांगी जा नकले दिनांक 15.10.2018 व दिनांक 25.10.2018 को प्राप्त हुई नकले प्राप्त करने पर फर्सी रूप से विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी करने का ज्ञान हुआ जिस पर परन्तु रिविजन प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं जो प्रस्ताव स्वीकृत करने व पट्टा जारी करने का पूर्णतया ज्ञान होने की तारीख में अन्तर पत्र पेश है। विक्रय विलेख आवंटन करने के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 को हमारी

गैर हाजरी में स्वीकृत हुआ व पट्टा दिनांक 15.09.1999 को जारी हुआ है जिसका हमें कतई ज्ञान नहीं था वैसे भी उक्त प्रस्ताव व पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बिना कोई जांच किये जारी किया हुआ होने से एबडनीसियों वोइड है जिसे निरस्त कराने हेतु म्याद कोई बाधा नहीं है। प्रार्थीगण ग्राम पावटी के मूल निवासी है तथा ग्राम पावटी के व श्री महादेव गोवर्धन गाँव काम पावटी के प्रतिनिधि है इस कारण आम गाँव के हित में प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त रिविजन प्रार्थना पत्र जनहित में पेश है तथा हमें प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार क्षेत्र है।

अतः रिविजन प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत किया गया पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 निरस्त फरमाया जावे। तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दौराहते हुये कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.99 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1993 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत डोरड में पेश किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई रिपोर्ट, जांच करवाये बिना ही दिनांक 10.06.99 को उसी दिन पट्टा जारी करने का आदेश कर दिया गया। जो प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.99 से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल कोर्ट भीनमाल में प्रार्थीगण के विरुद्ध एक दावा प्रस्तुत किया गया कि हमें पट्टे मिले हुये हैं जिस पर कब्जा नहीं था पट्टा शुदा भूखण्ड पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को अप्रार्थीगण द्वारा बाधित किया जा रहा है, अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करावे। इस दावे में भी स्पष्ट है कि पट्टा जारी वर्ष 1999 से लगाकर आज तक आवंटन का विवाद भूखण्ड पर कब्जा अथवा निर्माण नहीं रहा है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को विवादित भूखण्ड बाबत मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार मौके पर भूखण्ड आवंटियों का कोई कब्जा नहीं है। बल्कि भूखण्ड के चारो तरफ कांटो की बाड बनी हुई है। बीच में लोहे का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर श्री महादेव गोवर्धन गौधाम पावटी लिखा हुआ है। पास में लोहे की प्यालो पर चददरो से बना हुआ छपरा है। उसी के पास मौके पर गाँव के पानी पीने का होज यानि अवाडा बना हुआ है। भूमि मौके पर खाली व खुली पड़ी है। भूमि का उपयोग गाँव की आखरीया के काम आने से मौके पर मवेशिया खड़ी रहती है। जहाँ गाँव को चारा पानी दिया जाता है। विवादित भूमि ग्राम पावटी के खसरा नंबर 379 किन्मत गैर मुमकिन सरकारी भूमि है जो पगाडंडिया तथा रास्ते (चागगाह के पास नहीं) राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसके आधार पर यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड की भूमि गैर मुमकिन आबादी नहीं है। अप्रार्थी के नाम जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) की शर्त संख्या 8 के अनुसार आवंटन को दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होता है जबकि आवंटन द्वारा वर्ष 1999 से लगाकर आज तक इस भूखण्ड पर किसी प्रकार मकान अथवा झोपडा इत्यादि नहीं बनाया गया है। जिसके आधार पर भी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे पर आवंटन एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षरों का अभाव है जो आवश्यक होते हैं। आवंटन का पट्टा किस खसरा नंबर की भूमि पर जारी किया गया, इसका उल्लेख ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर अथवा पट्टे पर नहीं है। तथा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि की किस्म आबादी है या नहीं इस बाबत भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट नहीं ली गई है। आवंटन भूमिहीन है अथवा नहीं ऐसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं ली गई है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है सरकारी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत

को पट्टा देने का अधिकार नहीं होने से पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया जो विधिसंगत नहीं है। अवैधानिक आदेश बाबत कोई लिमिटेशन लागू नहीं होती है। फिर भी प्रार्थीगण को पट्टे के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही यह रिवीजन प्रार्थना पत्र समय सीमा में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 10.06.1999 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त फरमावे तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया विकल्प विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किया गया जिस पर पंचायत द्वारा मौका जांच करने के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में कार्यवाही कर पट्टा जारी नहीं करनी बाह की अवधि बाद पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थीगण को वर्ष 2009 में होने पर उपखंड अधिकारी भीनमाल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अप्रार्थी वाड बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिन्हें हटाने पर अनुसूचित जाति/जनजाति के मुकदमें में फसाने की धमकियां दे रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को विवादित भूमि के संबंध में 2009 से जानकारी होने के बावजूद भी यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2008 में प्रस्तुत किया गया है। जो म्याद बाहर है। तत्पश्चात् वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वर्ष 2009 पावटी के गोलुआ गांव से संबंधित होना कथन किया गया। दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव में चार व्यक्तियों को ही पट्टे नहीं दिये बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किये गये हैं। इसके आधार पर दिनांक 10.06.1999 को पारित किया गया प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं होना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और पट्टे पर आवंटि के हस्ताक्षर नहीं होना किसी प्रकार की अनियमिता भी नहीं है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में कमिश्नर द्वारा सभी चांजे नई प्रतीत होती है लिखा गया है। इससे यह साबित हो रहा है कि विवादित भूखण्ड पर मूक आवंटि का कब्जा रहा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा जारी किया गया है तथा आवंटि का मौकें पर कब्जा भी रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से शरिज फरमावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के विन्दुओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.1999 का रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन-आवेदन पत्र राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोरडा में प्रस्तुत किया जाने पर दिनांक 10.06.1999 को बैटक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 3 में दर्ज कर यह इबारत लिखी गई है कि उक्त उपरोक्त प्रार्थियों को प्लॉट रियायती दर पर देने हेतु पूर्व में मौका मुआयना कर दिया गया था जिसके आधार पर पंचायत अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत देने का निर्णय लिया गया, जिसमें ग्राम डोरडा व पावटी की आबादी सन 1991 को जनसंख्या के आधार पर 1000 से ज्यादा व 2000 से कम होने पर प्रति वर्ग मीटर 5/- रुपये के हिसाब से 750/- पंचायत कोष में जमा होने के पश्चात् प्रार्थियों को पट्टे जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव दिनांक 10.06.1999 के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी होने का कथन अप्रार्थी की ओर से किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.06.1999 को ही आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्व में मौका मुआयना करने का उल्लेख करते हुये पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका मुआयना किससे द्वारा कब करवाया गया इसका विवरण प्रस्ताव संख्या 3 में नहीं है तथा न ही पूर्व में मौका मुआयना करने से संबंधित मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत से

प्राप्त हुये रेकॉर्ड में उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र में विवादित भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 में होना बताया गया है जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार किस्म गैर मुमकिन पगडड़ीयां तथा रास्ते/चार गाड़ के लिये नहीं) राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। सिविल कोर्ट भिनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूखण्ड पर पट्टा धारक का कब्जा नहीं होकर गायो की आखरीया के उपयोग में लिया जा रहा है। जहां श्री महादेव गोवर्धन गोधाम पावटी लिखा हुआ लोहे का बोर्ड लगा हुआ है, लोहे की चददो का छपरा बना हुआ है तथा पानी का एक होज बना हुआ है। इसी भूखण्ड पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं के नाम पट्टा जारी होना तथा कब्जा होने का कथन किया है लेकिन अपने कथनों में उक्त भूखण्डो को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूखण्ड की आबादी भूमि नहीं मानते हुये सरकारी भूमि होना प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। सरकारी भूमि का आबादी विस्तार हेतु जब तक ग्राम पंचायत का आवंटन नहीं हो पाता है। तब तक सरकारी भूमि पर ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख (पट्टा) जारी कर के शक्तिया प्राप्त नहीं है। साथ ही अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार 2 वर्ष में मकान या झोपडा बनाना अनिवार्य होने के बावजूद भी आवडी अप्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण सन् 1999 से आज तक नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में विवादित भूखण्ड की आराजी को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का पूर्व में कब्जा होना साबित हो रहा है।

उपरोक्तानुसार अप्रार्थी के नाम ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी करने से पूर्व विवादित भूखण्ड की आराजी आबादी किस्म की है अथवा नहीं इस बाबत संबंधित पटवारी/तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विवादित भूखण्ड से संबंधित मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 का तैयार की गई मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा धारक अप्रार्थी का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थीगण विवादित भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 सरकारी भूमि में होना कथन कर रहे है इसके खण्डन में अप्रार्थी के पक्ष की ओर विवादित भूखण्ड को गैर मुमकिन आबादी भूमि में होना तथा उस पर पट्टा जारी होने की तिथि से 2 वर्ष में भीतर मकान अथवा झोपडा बनाया जाना साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित पटवारी हल्का/तहसीलदार से भूमि की किस्म वक्त रिपोर्ट प्राप्त कर विक्रय विलेख (पट्टा) जारी करने के लिये ग्राम पंचायत डोरडा स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को अप्रार्थी संख्या 1 रघुवीर के नाम पट्टा जारी करने के प्रस्ताव संख्या 3 के निरस्त करते हुये विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त किया जात है। पत्रावली संख्या शंभर होकर नम्बर से कम हो।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालंधर

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालंधर